(35) शा.शि. में प्राध्यापक एवं व्याख्याता/पर्यवेक्षक क्रीड़ा संगम/खेल प्रशिक्षक

क्र.स.	मानदण्ड	शा.शि. में प्राध्यापक एवं व्याख्याता	पर्यवेक्षक (शाला क्रीड़ा संगम)	खेल प्रशिक्षक (सत्र पर्यन्त) प्रशि. हेतु एवं शिक्षक प्रशिक्षण
1	2	3	4	5
1.	शैक्षिक प्रवृत्तियाँ	अ. सैद्धान्तिक शिक्षण एवं प्रयोगिक प्रशिक्षण कार्य ब. शिक्षण प्रशिक्षण पाठ्यक्रम निर्धारणानुसार प्रदत्त कालांश कुल कालांश संख्या 30 स. विविध शैक्षिक परियोजनाओं के आयोजन में सहभागिता	अ. सैद्धान्तिक शिक्षण एवं प्रायोगिक प्रशिक्षण कार्य ब. प्रात: 7 से 9.30 बजे, सांय 4 से 7 (मौसमानुसार परिवर्तन) स. गतिविधियों का परिवीक्षण एवं मार्गदर्शन द. खेल का आयोजन	अ. सैद्धान्तिक शिक्षण एवं प्रायोगिक प्रशिक्षण कार्य ब. समयावधि प्रात: 6 से 9 बजे, सांय 4 से 7 (मौसम के अनुसार परिवर्तन) स. कौशल शिक्षण एवं तकनीकी ज्ञान में मार्गदर्शन द. खेल क्रीड़ाओं का शिक्षण प्रशिक्षण
2.	परीक्षा परिणाम	अ. बाह्य (डिप्लोमा एवं प्रमाण-पत्र) शि.वि./बोर्ड के उस वर्ष के स्तर के समान विषयानुसार) ब. बाह्य एवं आन्तरिक विषयानुसार मूल्यांकन शिक्षा विभागीय/बोर्ड के अनुसार।	अ. संभागीय विद्यार्थियों की प्रगति का अवलोकन एवं उपस्थिति का लेखा जोखा।	अ. खेल क्रीड़ा प्रतियोगिता सतत् मूल्यांकन की स्थिति एवं उपलब्धियाँ। ब. मैत्री स्पर्धाओं के आयोजन।
3.	सहशैक्षिक प्रवृत्तियाँ	अ. किसी सहशैक्षिक प्रवृत्ति का संचालन, नियोजन एवं मूल्यांकन का दायित्व ब. शैक्षिक भ्रमण स. सामुदायिक राष्ट्रीय सेवा शिविर का आयोजन	अ. खेलकूद का आयोजन ब. राष्ट्रीय समारोहों की पूर्व व्यायाम की तैयारी। स. प्रशिक्षण शिविर व्यवस्था।	अ. स्वास्थ्य शा.शि. एवं खेलों से सम्बद्ध विद्यालय में आयोजित प्रवृत्तियों में सहभागिता। ब. प्रशिक्षण कार्ययोजना/ मनोरंजनात्मक प्रवृत्तियों के आयो. निर्णायक कार्य।
4.	व्यावसायिक उन्नयन	अ. व्यावसायिक योग्यता वृद्धि, सेवारत प्रशिक्षण, संगोष्ठी एवं वाक् पीठ में वार्ता। ब. लेखन, पत्रवाचन, प्रर्दशन पाठ, प्रयोग विकासात्मक खेलकूद प्रायोजनाएँ, शोध एवं अनुसंधान।	अ. व्यावसायिक योग्यता वृद्धि, सेवारत प्रशिक्षण, संगोष्ठी एवं वाक्पीठ में वार्ता ब. लेखन, पत्रावाचन, प्रदर्शन पाठ, प्रयोग विकासात्मक खेलकूद, प्रयोजनाएँ, शोध एवं अनुसंधान	अ. व्यावसायिक योग्यता वृद्धि, सेवारत प्रशिक्षण, संगोष्ठी एवं वाक्पीठ में वार्ता ब. लेखन, पत्रावाचन, प्रदर्शन पाठ, प्रयोग विकासात्मक खेलकूद, प्रयोजनाएँ, शोध एवं अनुसंधान
5.	सहायता एवं सहयोग	अ. शैक्षिक प्रवृतियों में सहयोग, संचालन, आयोजन एवं भौतिक विकास। ब. अनुशासन एवं खेल विकास समिति विकासात्मक कार्य व जनसहयोग।	अ. शैक्षिक प्रवृत्तियों में सहयोग, संचालन, आयोजन एवं भौतिक विकास। ब. अनुशासन एवं खेल विकास समिति विकासात्मक कार्य व जनसहयोग।	अ. शैक्षिक प्रवृत्तियों में सहयोग, संचालन, आयोजन एवं भौतिक विकास। ब. अनुशासन एवं खेल विकास समिति विकासात्मक कार्य व जनसहयोग।

Scanned by CamScanner

(36) विद्यालय में कार्यरत शारीरिक शिक्षकों के दायित्व

विद्यालय में स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा सम्बन्धित कार्यक्रमों को व्यवस्थित ढंग से संचालित करने की दृष्टि से प्राथमिक से लेकर सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शारीरिक शिक्षकों के दायित्व/जॉब-चार्ट निम्नानुसार रहेंगे—

अ. कालांश व्यवस्था

1. शारीरिक शिक्षक के अन्य सामान्य अध्यापकों की पद श्रेणी के अनुसार शारीरिक शिक्षा विषय के कालांश लेने होंगे।

पदवार कालांश आवंटन निम्नानुसार रहेगा–

(1)	तृतीय श्रेणी शा.शि.	42 कालांश प्रति सप्ताह
(2)	द्वितीय श्रेणी शा. शि.	36 कालांश प्रति सप्ताह
(3)	व्याख्याता - शा.शि.	30 कालांश प्रति सप्ताह

2. उपरोक्त कालांश का कक्षावार निम्नांकित रूप से शारीरिक शिक्षकों को आवंटित होंगे–

(1)	कक्षा 1 से 5	6 कालांश प्रति सप्ताह प्रति कक्षा
(2)	कक्षा 6 से 8	4 कालांश प्रति सप्ताह प्रति कक्षा
(3)	कक्षा 9 से 10	2 कालांश प्रति सप्ताह प्रति कक्षा
(4)	कक्षा 11 से 12	2 कालांश प्रति सप्ताह प्रति कक्षा

उपरोक्त कालांश में से निम्नांकित कार्यों हेतु उनके सामने अंकित समयानुसार कालांश को आवंटित कालांशों में सम्मिलित समझा जायेगा—

प्रार्थना सभा पश्चात् शाला में स्वास्थ्य वातावरण का निरीक्षण हेतु — 1 कालांश प्रति सप्ताह

शारीरिक शिक्षक को जिस खेल प्रभारी का दायित्व सौंपा गया है।
उसकी सामग्री के रख-रखाव हेतु — -1 कालांश प्रति सप्ताह

सांयकालीन समय में यदि शा.शि. कार्यक्रम
जैसे–खेल, सामूहिक व्यायाम, योग शिक्षा, भारतीयम, अन्तर सदनीय
प्रतियोगिता आदि सम्पादित करने पर — -3 कालांश प्रतिदिन

उपरोक्त समस्त कालांश लेने के पश्चात शारारिक शिक्षा अध्यापक के समय विभाग चक्र में निर्धारित कालांश पूरे न होने पर अन्य सामान्य विषयों के कालांश देकर पूर्ण किये जायेंगे।

ब. वार्षिक योजना

उपरोक्त कालांशानुसार अपने कार्यक्रम की वार्षिक योजना पाठ्यक्रमानुसार तैयार कर सत्र प्रारम्भ में ही संस्था प्रधान को प्रस्तुत करेंगे। कक्षावार पाठ्यक्रम निम्नानुसार रहेगा:-

1. कक्षा 1 से 8 — "स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा" शीर्षक के अन्तर्गत "शिक्षा क्रम" में वर्णित
2. कक्षा 9 से 10 — "स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा" संदर्शिका में वर्णित
3. कक्षा 11 से 12 — शिक्षा निदेशालय के द्वारा प्रसारित पाठ्यक्रम।

स. शारीरिक शिक्षक : कार्य क्षेत्र

1. शाला की प्रार्थना सभा के कार्यक्रम को सम्पादित करना।
2. शाला के स्वास्थ्य वातावरण का निरीक्षण करना।
3. विद्यालय में मनाये जाने वाले राष्ट्रीय पर्व विभिन्न उत्सवों के आयोजन का सामान्य अध्यापक की भांति कार्य सम्पादित करना।

Scanned by CamScanner

		ब. विद्यालयी साधन-सुविधानुसार शैक्षिक कार्य योजना का संचानल स. आवंटित समय 10 प्रतिशत एवं कालांश 42 कार्य दायित्व द. विषयान्तर्गत कालां पूर्ति न होने पर सामान्य विषय-शिक्षण	ब. विद्यालयी साधन-सुविधानुसार शैक्षिक कार्य योजना का संचालन स. आवंटित 8 प्रतिशत समय एवं 36 कालांश कार्य दायित्व द. विषयान्तर्गत कालाश पूर्ति न होने पर सामान्य विषय-शिक्षण	ब. विद्यालयी साधन-सुविधानुसार शैक्षिक कार्य योजना का संचालन स. आवंटित 8 प्रतिशत समय एवं 30 कालांश कार्य दायित्व द. विषयान्तर्गत कालाश पूर्ति न होने पर सामान्य विषय-शिक्षण
2.	परीक्षा परिणाम	अ. सतत् मूल्यांकन व्यवस्था ब. सैद्धान्तिक एवं प्रायोगिक स. आन्तरिक मूल्यांकन	अ. सतत् मूल्यांकन व्यवस्था ब. सैद्धान्तिक एवं प्रायोगिक स. आन्तरिक मूल्यांकन द. बोर्ड प्रमाण पत्र में ग्रेडिंग	अ. सतत् मूल्यांकन व्यवस्था ब. सैद्धान्तिक एवं प्रायोगिक स. आन्तरिक मूल्यांकन द. बोर्ड प्रमाण पत्र में ग्रेडिंग य. शिक्षक प्रशिक्षण में बाह्य परीक्षा (सैद्धा. एवं प्रायोगिक)
3.	सह-शैक्षिक प्रवृतियाँ	अ. स्वास्थ्य, शा.शि. एवं खेलकूद से सम्बन्धित विद्यालय में विविध परियोजनाओं एवं प्रवृत्तियों के नियोजन आयोजन, मार्गदर्शन एवं मूल्यांकन में सहभागिता ब. ग्रीष्मकालीन क्रियाशील अवकाश योजनान्तर्गत खेलकूद एवं मनोरंजन	अ. स्वास्थ्य, शा.शि. एवं खेलकूद से सम्बन्धित विद्यालय में विविध परियोजनाओं एवं प्रवृत्तियों के नियोजन आयोजन, मार्गदर्शन एवं मूल्यांकन में सहभागिता ब. ग्रीष्मकालीन क्रियाशील अवकाश योजनान्तर्गत खेलकूद एवं मनोरंजन	अ. स्वास्थ्य, शा.शि. एवं खेलकूद से सम्बन्धित विद्यालय में विविध परियोजनाओं एवं प्रवृत्तियों के नियोजन आयोजन, मार्गदर्शन एवं मूल्यांकन में सहभागिता ब. ग्रीष्मकालीन क्रियाशील अवकाश योजनान्तर्गत खेलकूद एवं मनोरंजन
4.	व्यावसायिक उन्नयन	अ. व्यावसायिक योग्यता वृद्धि, सेवारत प्रशिक्षण, संगोष्ठी वार्ता एवं वाक्पीठ ब. लेखन, पत्रवाचन, प्रदर्शन पाठ प्रयोग, विकासात्मक खेलकूद, प्रायोजना शोध एवं अनुसंधान।	अ. व्यावसायिक योग्यता वृद्धि, सेवारत प्रशिक्षण, संगोष्ठी वार्ता एवं वाक्पीठ ब. लेखन, पत्रवाचन, प्रदर्शन पाठ प्रयोग, विकासात्मक खेलकूद, प्रायोजना शोध एवं अनुसंधान।	अ. व्यावसायिक योग्यतावृद्धि, सेवारत प्रशिक्षण, संगोष्ठी वार्ता एवं वाक्पीठ ब. लेखन, पत्रवाचन, प्रदर्शन पाठ प्रयोग, विकासात्मक खेलकूद, प्रायोजना शोध एवं अनुसंधान।
5.	सहायता एवं सहयोग	अ. शैक्षिक प्रवृत्तियों में सहयोग, संचालन, आयोजन एवं भौतिक विकास ब. अनुशासन एवं खेल विकास समिति विकासात्मक कार्य व जनसहयोग। स. समारोह, उत्सव व जयन्तियाँ एवं नामाकंन स्टोर कार्य आदि। द. प्रार्थना सभा।	अ. शैक्षिक प्रवृत्तियों में सहयोग, संचालन, आयोजन एवं भौतिक विकास ब. अनुशासन एवं खेल विकास समिति विकासात्मक कार्य व जनसहयोग। स. समारोह, उत्सव व जयन्तियां एवं नामाकंन स्टोर कार्य आदि। द. प्रार्थना सभा।	अ. शैक्षिक प्रवृत्तियों में सहयोग, संचालन, आयोजन एवं भौतिक विकास ब. अनुशासन एवं खेल विकास समिति विकासात्मक कार्य व जनसहयोग। स. समारोह, उत्सव व जयन्तियां एवं नामाकंन स्टोर कार्य आदि। द. प्रार्थना सभा।

Scanned by CamScanner

4. सत्र में दो बार (जुलाई एवं मार्च में) छात्रों के स्वास्थ्य का परीक्षण अधिकृत चिकित्सक से करायेंगे तथा उसका पूर्ण अभिलेख रखेंगे।

5. छात्रों की स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रगति उनके अभिभावकों को समय-समय पर देना।

6. अन्य अध्यापकों की भांति शारीरिक शिक्षक भी विभागीय निर्देशानुसार दैनिक पंजिका पूर्ण करेंगे।

7. शारीरिक शिक्षा के पाठ्यक्रम एवं आवंटित कालांशानुसार वार्षिक योजना का निर्माण एवं क्रियान्वयन।

8. शाला में उपलब्ध—मैदान तथा उपकरणों की सुविधानुसार सांयकालीन समय हेतु खेलकूद कार्यक्रम बनाना तथा उनका सम्पादन करना।

9. अन्य विषयों की तरह जिला समान परीक्षा योजना के अन्तर्गत "स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा" विषय की सैद्धान्तिक एवं प्रायोगिक परीक्षा लेकर मूल्यांकन करना।

10. स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के व्यवस्थित एवं सफल संचालन के दायित्व का निर्वहन करना।

11. कार्यालयाध्यक्ष द्वारा दिये गये समस्त निर्देशों की पालना करना।

प्रारम्भिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के शारीरिक शिक्षा अध्यापक के दायित्व एवं जॉब चार्ट[1]

1. कालांश = 42 प्रति सप्ताह

2. कक्षा 1 एवं 2 को सम्मिलित रूप से शारीरिक शिक्षा शिक्षण

3. निर्धारित नॉर्म्स पूर्ण होने पर अन्य सामान्य विषयों के कालांश।

4. शारीरिक शिक्षा शिक्षक वार्षिक योजना निर्धारित नमूने के अनुसार सत्रारम्भ पर संस्था प्रधान को निश्चित रूप से प्रस्तुति

5. दैनिक पंजिका संधारण

6. प्रतिदिन नियमित रूप से सामूहिक व्यायाम कराना।

7. सायंकालीन समय में उपलब्ध मैदान एवं उपकरण की सुविधानुसार संस्था प्रधान के मार्गदर्शन में शारीरिक शिक्षक कार्यक्रमान्तर्गत खेल, सामूहिक व्यायाम, योग, भारतीयम आदि कार्य अन्य अध्यापकों के सहयोग सहित कराना।

8. विभागीय निर्देश एवं अभियान के अनुसार स्वास्थ्य परीक्षण।

9. प्रार्थना सभा, राष्ट्रीय पर्व आदि संचालन का कार्य।

10. उत्सव एवं जयन्तियाँ आदि के लिए विषय अध्यापकों का सहयोग।

11. खेलकूद प्रतियोगिताओं में भाग लेने हेतु विद्यार्थियों को तैयार करना अन्यथा शारीरिक शिक्षा के विरुद्ध कार्य के प्रति उदासीनता की कार्यवाही।

12. पाठ्यक्रम (क) स्वास्थ्य शिक्षा (ख) शारीरिक शिक्षा सैद्धान्तिक पक्ष का ज्ञान शिक्षण शिक्षा कक्ष में। शारीरिक शिक्षान्तर्गत खेल, दौड़, कूद इकाइयों का अभ्यास। कोई दो क्षेत्र और दौड़-कूद के कोई दो आइटम प्रत्येक विद्यार्थी से करवाये जाने हैं।

मूल्यांकन के क्षेत्र : (क) स्वास्थ्य शिक्षा – 1. व्यक्तिगत स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, 2. सफाई एवं स्वच्छता सम्बन्धी सामाजिक कार्यों में योगदान, 3. लिखित मूल्यांकन। **(ख) शारीरिक शिक्षा** – 1. प्रवृत्ति में रुचि, 2. प्रवृत्ति में कौशल, 3. प्रवृत्ति में व्यवहार, 4. लिखित मूल्यांकन।

---

1. क्रमांक : शिविरा/प्रारं/खेकू/स्वाशि/7505(13)2005/82 दिनांक 4-10-2006

Scanned by CamScanner

(34) अध्यापक वर्ग (शा.शि.)

क्र.स.	मानदण्ड	शा.शि. अध्यापक तृतीय श्रेणी प्रा.वि./उ.प्रा.वि.	व. शा.शि. अध्यापक द्वितीय वेतन श्रृंखला माध्य वि./सी.मा.वि.	व्याख्याता शा.शि. (प्रथम श्रेणी) सी.मा.वि.
1	2	3	4	5
1.	शैक्षिक प्रवृतियाँ	अ. स्वास्थ्य एवं शा.शि. के निर्धारित पाठ्यक्रम की पूर्ति	अ. स्वास्थ्य एवं शा.शि. के निर्धारित पाठ्यक्रम की पूर्ति	अ. स्वास्थ्य एवं शा.शि. के निर्धारित पाठ्यक्रम की पूर्ति

Scanned by CamScanner